

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 102/2024

Smt. Geeta Gehani

-----Petitioner

Versus

Harsh Gehani

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Om Prakash Mehta On VC Mr. Vasu Dev Gaur
For Respondent(s)	:	Mr. Shreyansh Mardia

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

15/07/2025

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र आवक क्रमांक 1/25 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि इस मामले में आक्षेपित आदेश के विरुद्ध दीवानी विविध अपील की जानी चाहिए थी। जबकि इस मामले में दीवानी निगरानी याचिका पेश कर दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Nawab Shaqafath Ali Khan & Ors. Vs. Nawab Imdad Jah Bahadur & Ors. 2009 AIR SCW 2289 के पैरा संख्या 56 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार निगरानी को अपील में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस आधार पर इस मामले को विविध अपील में कन्वर्ट किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता द्वारा इसका विरोध किया गया और यह जाहिर किया गया कि धारा 151 सी.पी.सी. में इस न्यायालय को निगरानी को विविध अपील में कन्वर्ट करने की पॉवर नहीं है। साथ ही यह निवेदन किया कि प्रकरण को कन्वर्ट नहीं किया जावे बल्कि यह आदेश दिया जावे कि यह प्रकरण जरिए विद्घो निस्तारित किया जावे और नए सिरे से अपील प्रस्तुत करें।

सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत पूर्व में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के पैरा संख्या 56 में प्रतिपादित सिद्धांतों के

परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना-पत्र आवक क्रमांक 1/25 स्वीकार किया जाता है और यह दीवानी निगरानी याचिका को दीवानी विविध अपील में कन्वर्ट करने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय इस प्रकरण को दीवानी विविध अपील के रूप में ट्रीट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर सूचीबद्ध करें।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

30-mayank/-